अनुबंध III

भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों में उम्मीदवारों से प्राप्त किए जाने वाले फॉर्म

प्रारूप – क

निर्मुक्त/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लागू प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या .... रैंक............... नाम... जिनकी जन्म तिथि .... है ने .... से .... तक सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा प्रदान की है।

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से निर्मुक्त कर दिया गया है:

ए) सेवाकाल पूरा होने पर निम्नलिखित को छोड़ कर
(i) बर्खास्तगी के माध्यम से, या
(ii) कदाचार या अक्षमता के कारण निर्मुक्ति के माध्यम से, या
(iii) अपने स्वयं के अनुरोध पर, लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना, या
(iv) ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक उन्हें रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है
बी) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता के कारण।
ग) कम से कम पांच साल की सैन्य सेवा करने के बाद अमान्य होने पर

3. वह समय-समय पर संशोधित पूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवा और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

स्थान:
तारीख:
मुहर

हस्ताक्षर। सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम**

उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है।

फॉर्म-बी

सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(एक वर्ष के भीतर निर्मुक्त किए जाने वाले सेवारत कर्मियों के लिए लागू)

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं. ....रैंक.........नाम.........सेना/नौसेना/वायु सेना में .... से सेवा कर रहे हैं।

2. वह .... को अपने सेवाकाल की विशिष्ट अवधि के पूरा होने पर निर्मुक्त/सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हैं।

3. उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है।

स्थान:
तारीख:
मुहर

हस्ताक्षर। सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम**

फॉर्म-सी

एक वर्ष के भीतर निर्मुक्त किए जाने वाले सेवारत सशस्त्र सेना कर्मियों द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

मैं समझता हूं कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मुझे चुना जाता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रिहा / सेवानिवृत्त / निर्मुक्ति दे दी गई है और मैं पूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवा और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979, समय समय पर यथा संशोधित, के संदर्भ में पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूं।

(2) मैं यह भी समझता हूं कि मैं इस परीक्षा के दायरे में की गई भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति के लिए नियुक्त होने का पात्र नहीं बनूंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय सिविल पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

स्थान:
तारीख:
उम्मीदवार के हस्ताक्षर और नाम

फॉर्म-डी

सशस्त्र बल कर्मियों की सेवा के लिए लागू प्रमाण पत्र का प्रपत्र जिन्होंने पहले ही अपना प्रारंभिक सेवाकाल पूरा कर लिया है और विस्तारित सेवाकाल पर हैं

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या................ रैंक.................... नाम... जिनकी जन्म तिथि .... है जो सेना/नौसेना/वायु सेना में .... से सेवा कर रहे हैं।

2. उन्होंने पहले ही पांच साल का अपना प्रारंभिक सेवाकाल पूरा कर लिया है ... . और ... . तक विस्तारित सेवाकाल पर हैं।

3. उनके द्वारा सिविल रोजगार के लिए आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें चयन पर नियुक्ति की पेशकश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के नोटिस पर रिहा कर दिया जाएगा।

स्थान:
तारीख: हस्ताक्षर। सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम**
मुहर

** आयु रियायत प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बल कर्मियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार हैं:
(ए) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन अधिकारियों के मामले में: सेना: सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
(बी) जेसीओ/ओआरएस और नौसेना एवं वायु सेना में समकक्ष के मामले में : सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: सीएबीएस, मुंबई; वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली।